



प्रसार भारती/Prasar Bharati  
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan  
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg  
नई दिल्ली/New Delhi-110001



फा.फ.सं.No.904/51/2018-19-एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/8

दिनांक/Date 19/03/2019

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER**

**Sub: दूरदर्शन के फिल्म अनुभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामंकन हेतु/Declaration of First Appellate Authority for Film Section.**

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत फिल्म अनुभाग के सूचना का अधिकार सम्बंधित सभी मामलों के लिये सुश्री संगीता गोयल, अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है। The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Ms. Sangeeta Goel, Addl. Director General (Prog.) as First Appellate Authority under Section 19(1) of Right to information Act, 2005, in respect of all RTI matters pertaining to Film Section of Directorate General, Doordarshan.

*(Rajiv Sinha)*  
(राजीव सिन्हा/Rajiv Sinha)

**उप महानिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director General (Admn.) & RTI**

सेवा मे/To

1. सुश्री संगीता गोयल, अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिल्म अनुभाग/ Ms. Sangeeta Goel, Addl. Director General (Prog.) & First Appellate Authority Film Section, DG:DD.

प्रतिलिपि/copy to :

1. सहायक निदेशक(कार्यक्रम) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, फिल्म अनुभाग/Asstt. Director (Proa), Film Section, DG:DD.
2. आई. टी सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को डी.डी.इंडिया वेबसाइट के आर.टी.आई. वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु अपलोड कर दें/ IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

*(Rajiv Sinha)*  
(राजीव सिन्हा/Rajiv Sinha)

**उप महानिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director General (Admn.) & RTI**